उत्तराखण्ड सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2010–11

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
(उत्तराखण्ड)

आमुख

यह हमारे वार्षिक प्रकाशन उत्तराखण्ड सरकार के 'लेखे एक दृष्टि में' का पांचवां संस्करण है। इस प्रकाशन का उद्देश्य हितधारकों को वृहद वित्त एवं विनियोग लेखे की लाभदायक सूचना उपलब्ध कराना है। वर्ष 2009–10 से विभिन्न प्रतिवेदनों के प्रयोजनों एवं प्रस्तुतीकरण में बहुत बदलाव किए गये है। इन प्रतिवेदनों की मदद से भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, जो कि भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक के अधीन काम करता है, हितधारकों, विधानमण्डल, कार्यपालिका एवं जनता को वित्तीय मापदण्डों एवं राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में सूचना उपलब्ध कराता है। सरकार की वित्तीय स्थिति को और अधिक स्पष्ट किए जाने हेतु वित्त लेखे के प्रारूप एवं प्रस्तुतीकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गये है, तथा अतिरिक्त विवरणों को सम्मिलित किया गया है। फलस्वरूप वित्त लेखे को दो खण्डों में तैयार किया गया है। खण्ड I विभिन्न वित्तीय लेनदेनों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है, जबकि इन लेनदेनों का ब्यौरा एवं कुछ अतिरिक्त सूचनाएं खण्ड II में दिए गये है। इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए 'लेखे एक दृष्टि में' को अधिक बोधगम्य तथा उपयोगी बनाने के लिए नये रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। वित्त एवं विनियोग लेखे, राज्य वित्त के प्रतिवेदन एवं 'लेखे एक दृष्टि में' का संयुक्त अध्ययन हितधारकों के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न वित्तीय पहलुओं को और अधिक प्रभावकारी ढ़ग से समझने में सहायता प्रदान करेगा।

हम उन सुझावों का स्वागत करते है जो कि प्रकाशन के सुधार में सहायक हो।

देहरादूनः
दिनांकः 05 मार्च, 2012

महुआ पाल
महालेखाकार, (ले. एवं हक.)
उत्तराखण्ड

हमारा दृष्टिकोण, लक्ष्य एवं मूल सिद्धान्त

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संस्था का **दृष्टिकोण** लोक उपक्रम से सम्बन्धित लेखों एवं उन लेखाओं के अंकेक्षण को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय बनाना हैं। उन प्रचलित एवं सर्वोत्तम पद्यतियों को जो स्वतन्त्र, विश्वसनीय, सन्तुलित हो तथा लोक वित्त एवं शासन की समयबद्व आख्याओं के लिए जानी जाती हो, का अनुसरण किया जाता है।

भारत के संविधान के द्वारा अधिकृत हमारा **लक्ष्य** उच्च गुण युक्त अंकेक्षण एवं लेखाकरण द्वारा उत्तरदायी, पारदर्शी एवं सुशासन को प्रोत्साहन देना है तथा अपने हितधारकों, विधानमण्डल, कार्यपालिका एवं जनता को पूर्ण विश्वास दिलाना है कि लोक निधि का उपयोग फलोत्पादक एवं निर्धारित किए गये उद्देश्य के लिये किया जा रहा हैं।

हमारे **मूल सिद्धान्त** उस सबके लिए जो हम करते हैं, का मार्ग दर्शक है तथा हमें अपनी उपलब्धियों का आंकलन करने के लिए प्रकाश स्तम्भ प्रदान करते हैं, वे निम्न हैः–

- स्वतत्रंता
- विषय परखता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यवसायिक श्रेष्ठता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक सोच
- मार्गदर्शन

विषय वस्तु

		पृष्ठ
अध्याय –1	परिचय	
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	लेखे की संरचना	1
1.3	वित लेखे एवं विनियोग लेखे	3
1.4	निधि के श्रोत एवं उपयोग	4
1.5	लेखे के मुख्य अंश	7
1.6	राजकोषीय आधिक्य/घाटा क्या प्रदर्शित करता है	8
अध्याय –2	प्राप्तियां	
2.1	प्रस्तावना	11
2.2	राजस्व प्राप्तियां	11
2.3	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	13
2.4	अपने कर राजस्व वसूली मे राज्य का प्रदर्शन	15
2.5	कर वसूली की क्षमता	15
2.6	संघीय करों मे राज्य के करों की प्रवृत्ति	16
2.7	सहायक अनुदान	17
2.8	लोक ऋण	18
अध्याय –3	व्यय	
3.1	प्रस्तावना	19
3.2	राजस्व व्यय	19
3.3	पूंजीगत व्यय	22
अध्याय –4	आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्यय	
4.1	व्ययों का वितरण (2010–11)	24
4.2	आयोजनागत व्यय	24
4.3	आयोजनेत्तर व्यय	25
4.4	बचनबद्ध व्यय	26
अध्याय –5	विनियोग लेखे	
5.1	विनियोग लेखे का साराशं (2010–11)	27
5.2	पिछले 5 वर्ष में बचतों/आधिक्यों की प्रवृत्ति	27
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	28
अध्याय –6	परिसम्पत्तियां एवं दायित्व	
6.1	परिसम्पत्तियां	30
6.2	ऋण एवं देयता	30
6.3	बचनबद्वताये।	31
अध्याय –7	अन्य मदें	
7.1	राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम	32
7.2	स्थानीय निकायों और अन्यों को वित्तीय सहायता	32
7.3	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का विनियोग	33
7.4	लेखों का समाशोधन	33
7.5	कोषागारों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	34
7.6	सार आकस्मिक देयक/विस्तृत आकस्मिक देयक	34

अध्याय 1

1.1. प्रस्तावना

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड शासन के प्राप्तियां एवं व्ययों के लेखाओं का संकलनकर्ता है। ये संकलन जिला कोषागार, लोक निर्माण, वन प्रभागों से प्राप्त प्रारम्भिक लेखाओं एवं भारतीय रिर्जव बैंक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार के संकलन कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) तैयार करता है। वित्त एवं विनियोग लेखे वार्षिक रूप से तैयार किये जाते हैं जो कि प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा अंकेक्षण एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रमाणीकरण के पश्चात् राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाते हैं।

1.2. लेखे के भाग

1.2.1. *शासकीय लेखे तीन भागों में रखे जाते है*

भाग–I **समेकित निधि**	राजस्व एवं पूंजीगत लेखे की प्राप्तियां एवं व्यय, लोक ऋण, उधार एवं अग्रिम
भाग–II **आकस्मिकता निधि**	अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए बजट मे प्रावधान न किया गया हो। इस निधि से किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति समेकित निधि से कर ली जाती है।
भाग–III **लोक लेखा**	इसमें ऋण, जमा, अग्रिम, प्रेषण एवं उंच्चत लेनदेन सम्मिलित हैं ऋण एवं जमा शासन के देयताओं के पुर्नभुगतान को प्रदर्शित करते हैं। अग्रिम शासन द्वारा वसूल किए जाने योग्य होते हैं। प्रेषण एवं उचन्त लेनदेन समायोजन सम्बन्धी आंकड़े हैं। जिनको अन्तिम रूप से लेखे के अन्तिम शीर्षों में पुस्तांकित कर निस्तारित किया जाना होता हैं।

1.2.2. लेखे का संकलन

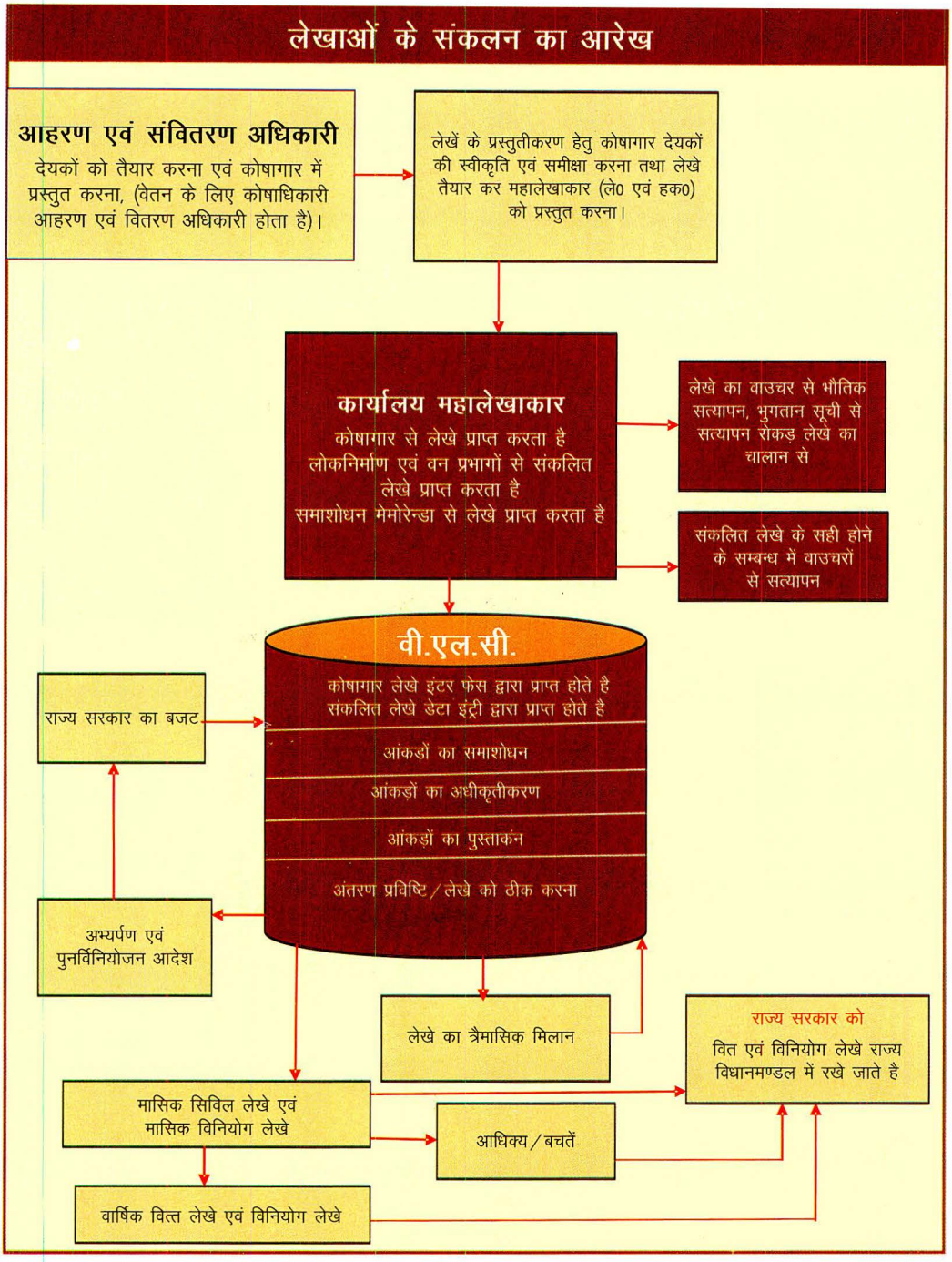

वी.एल सी : Voucher Level Compilation

1.3. वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1. वित्त लेखे

वित्त लेखे शासन के राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण एवं लेखे में अभिलिखित लोक लेखे के शेषों से प्राप्त वित्तीय परिव्ययों के साथ वार्षिक प्राप्तियों एवं व्ययों को चित्रित करते हैं। वर्ष 2009–10 से वित्त लेखे को अधिक बोधगम्य एवं सूचना देयक बनाने हेतु नए आकार, में दो खण्डों में तैयार किये गये है। खण्ड–I में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रमाणीकरण, कुल प्राप्तियों एवं व्ययों का संक्षिप्त विवरण, लेखे की टिप्पणियां जिसमें लेखा नीतियों के महत्वपूर्ण सार, लेखे की विशेषता एवं अन्य मदें सम्मिलित हैं। खण्ड–II में अन्य संक्षिप्त विवरणों (भाग–I) विस्तृत विवरण (भाग–II) एवं परिशिष्ट (भाग–III) सम्मिलित हैं।

उत्तराखण्ड शासन के वर्ष 2010-11 में प्राप्तियां एवं व्यय जैसे कि वित्त लेखे में चित्रित है, निम्न है:–

(करोड़ ₹ में)

प्राप्तियां (योगः 1,35,35.59)	**राजस्व (योगः1,16,08.16)**	कर राजस्व	68,65.54
		करेत्तर राजस्व	6,78.06
		सहायक अनुदान	40,64.56
	पूंजीगत (योगः1927.43)	ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	84.87
		उधार एवं अन्य देयताएं*	18,42.56
संवितरण (योगः1,35,35.59)	राजस्व		1,16,21.07
	पूंजीगत		18,54.84
	ऋण एवं अग्रिम		59.68

*उधार एवं अन्य देयतायें: शुद्ध लोक ऋण+शुद्ध आकस्मिकता निधि+(प्राप्तियां–संवितरण) शुद्ध लोक लेखा + शुद्ध आरम्भिक और अन्तः रोकड़ शेष

संघ सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन हेतु राज्य क्रियान्वयन संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं को सीधे पर्याप्त निधि स्थानान्तरित करती है। इस वर्ष भारत सरकार ने सीधे ₹ 1918.16 करोड़ अवमुक्त किये। चूंकि यह निधि राज्य सरकार के बजट से अग्रेनित नहीं हुई इसलिए यह निधि राज्य सरकार के लेखे में सम्मिलित नहीं है। इन निधियों का ब्यौरा वित्त लेखे में खण्ड II के परिशिष्ट VII में दिखाया गया है।

1.3.2. विनियोग लेखे

विनियोग लेखे वित्त लेखे के अनुपूरक हैं। ये राज्य सरकार के समेकित निधि पर प्रभारित या राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित दत्तमत धनराशियों के विरूद्ध व्यय को दर्शाते हैं, इनमें 02 प्रभारित विनियोग, 09 प्रभारित विनियोग एवं दत्तमत अनुदान एवं 20 दत्तमत अनुदान सम्मिलित है।

वर्ष 2010–11 के विनियोग अधिनियम में ₹ 1,72,76.75 करोड़ के व्यय तथा ₹ 14,39.38 करोड़ की वसूलियां जिन्हें व्यय से घटा दिया जाना था, की व्यवस्था की गई थी। इसके विरूद्ध ₹ 1,62,09.15 करोड़ के कुल वास्तविक व्यय तथा ₹ 14,93.22 करोड़ की वसूलियां जिन्हें व्यय में से घटा दिया जाना था, हुई. परिणामस्वरूप ₹ 10,67.60 करोड़ (6.18 *प्रतिशत*) की कुल बचत तथा वसूलियां जिन्हें व्यय में से घटा दिया जाना था, हेतु ₹ 53.85 करोड़ (3.74 *प्रतिशत*) के अनुमान कम रहे। वसूलियां जिन्हें व्यय में से घटा दिया जाना था के अनुमान राजस्व एवं पूंजीगत प्रभाग दोनों में कम रहे। सकल व्यय में ₹ 94.17 करोड़ के वे व्यय भी सम्मिलित है जो सार आकस्मिक देयकों (A.C. bills) के माध्यम से आहरित किये गये, जिसमें से ₹ 72.74 करोड़ के व्यय विस्तृत आकस्मिक देयकों (D.C. bills) के अभाव में वित्तीय वर्ष के अन्त तक असमायोजित थे।

1.4. निधियों के श्रोत एवं उपयोग

1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरलता को बनाये रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करती है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ न्यूनतम सहमतित रोकड़ शेष (₹ 0.16 करोड़) की कमी पर बैंक द्वारा अधिविकर्ष की सुविधा दी जाती है। वर्ष 2010–11 के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार ने 290 दिनों तक बिना कोई अग्रिम लिए, 13 दिनो तक साधारण अर्थोपाय अग्रिम तथा 69 दिनों तक विशेष अर्थोपाय अग्रिम के साथ न्यूनतम रोकड़ शेष बनाये रखा। राज्य सरकार को वर्ष के दौरान 11 दिनों तक अधिविकर्ष की आवश्यकता पड़ी।

1.4.2. वित्तीय स्थिति का विवरण

राज्य का राजस्व घाटा ₹ 12.91 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹ 18,42.56 करोड़ था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.02 *प्रतिशत* और 3.53 *प्रतिशत* है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 13.61 *प्रतिशत* है। इस घाटे में लोक ऋण (₹ 19,07.82 करोड़), लोक लेखें में बढ़ोतरी (₹ 9,70.40 करोड), अप्रतिपूर्तित आकस्मिकता निधि (₹(-)4,70.09 करोड़), शुद्ध आरम्भिक शेष एवं अन्तः शेष (₹ -5,65.57 करोड़) सम्मिलित है। राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,16,08.16 करोड़) का लगभग 63.25 *प्रतिशत* वचनबद्व व्यय जैसे वेतन (₹ 47,21.12 करोड़), ब्याज अदागियां (₹ 14,79.58 करोड) और पेंशन (₹ 11,41.72 करोड) पर व्यय किया गया।

श्रोत एवं निधियों का उपयोग

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	धनराशि
श्रोत	आरम्भिक रोकड़ शेष 01.04.2010 को	(-) 2,36.76
	राजस्व प्राप्तियां	1,16,08.16
	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	84.87
	लोक ऋण	30,88.16
	अल्प बचतें, भविष्य निधि एवं अन्य	13,72.65
	आरक्षित एवं ऋण शोधन निधियां	1,53.15
	जमा प्राप्तियां	23,46.42
	सिविल अग्रिम अदायगी	1,17.28
	उच्चंत लेखा	2,12,20.41
	प्रेषण	32,53.90
	आकस्मिकता निधि	5,81.62
	योग	**4,35,89.86**
उपयोग	राजस्व व्यय	1,16,21.07
	पूंजीगत व्यय	18,54.84
	दिया गया ऋण	59.68
	लोक ऋण की अदायगी	11,80.34
	अल्प बचतें, भविष्य निधि एवं अन्य	5,02.93
	आरक्षित एवं ऋण शोधन निधियां	1,26.29
	खर्च किये गये जमा	23,00.83
	दिया गया सिविल अग्रिम	1,17.28
	उच्चंत लेखा	2,08,89.27
	प्रेषण	35,56.81
	आकस्मिक निधि	536.71
	आकस्मिक निधि को स्थानान्तरित	5,15.00
	अन्तिम रोकड़ शेष 31.03.2011 तक	3,28.81
	योग	**4,35,89.86**

1.6.3. *पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधि का अंश*

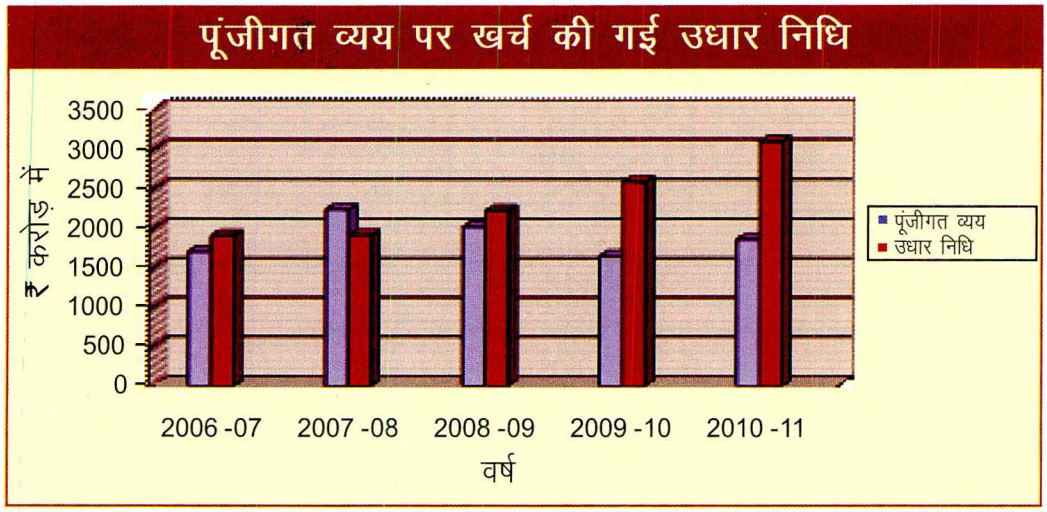

वित्तीय समझदारी है, कि उधार ली गई निधियों का पूरा उपयोग पूंजीगत परिसम्पतियों का सृजन करने में किया जाये। वर्ष 2006–07 से 2008–09 पूंजीगत परिसम्पतियों पर उधार निधियों का 89 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* का उपयोग किया गया तथा राज्य सरकार इस प्रवृत्ति को नही बनाये रख पाई और वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में मात्र 64 *प्रतिशत* और 60 *प्रतिशत* निधियों का इस उददेश्य के लिये उपयोग किया गया। शेष 37 *प्रतिशत* से 40 *प्रतिशत* निधियां उधार ली गई निधियों के पुर्नभुगतान में उपयोग लाई गई।

अध्याय 2

प्राप्तियां

2.1. परिचय

सरकार की प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई है। वर्ष 2010–11 की कुल प्राप्तियां ₹ 1,35,35.59 करोड़ थी।

2.2. राजस्व प्राप्तियां

कर राजस्व	संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अनुसार राज्यों द्वारा वसूले गये व रखे गये एवं संघीय करों से राज्यांश को प्राप्त करना सम्मिलित है।
करेत्तर राजस्व	इसमें ब्याज प्राप्तियां, लाभाशं, लाभ इत्यादि सम्मिलित है।
सहायक अनुदान	यह संघ सरकार से राज्य सरकार को सहायता के रूप में है, जिसमें "बाहय अनुदान सहायता" एवं सहायता, सामाग्री एवं यन्त्र जो विदेशी सरकारों से प्राप्त कर संघ सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त होती है, सम्मिलित है। इस प्रवृति में राज्य सरकार भी संस्थाओं को जैसे पंचायती राज संस्थाएं, स्वायत संस्थाओं इत्यादि को सहायता अनुदान प्रदान करती है।

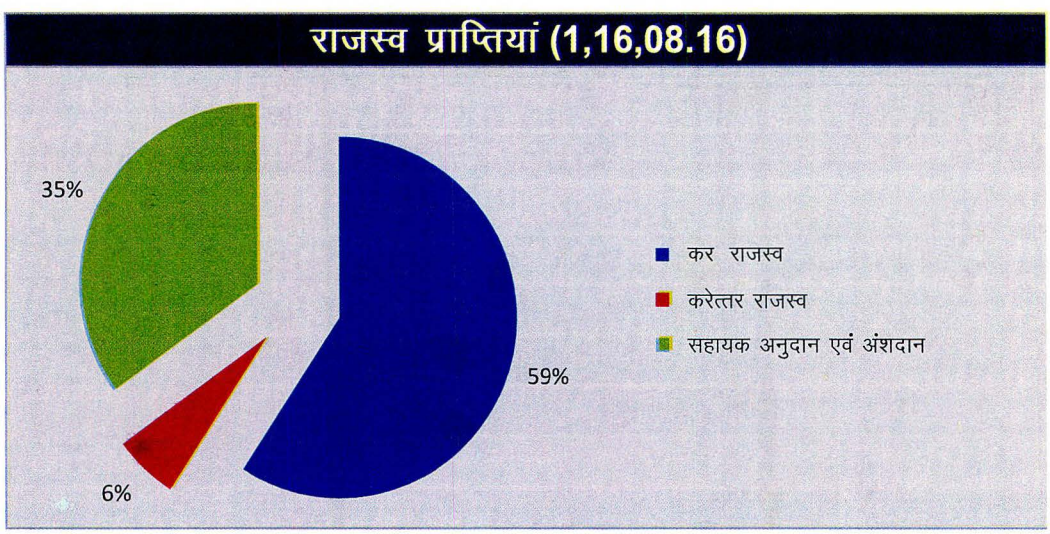

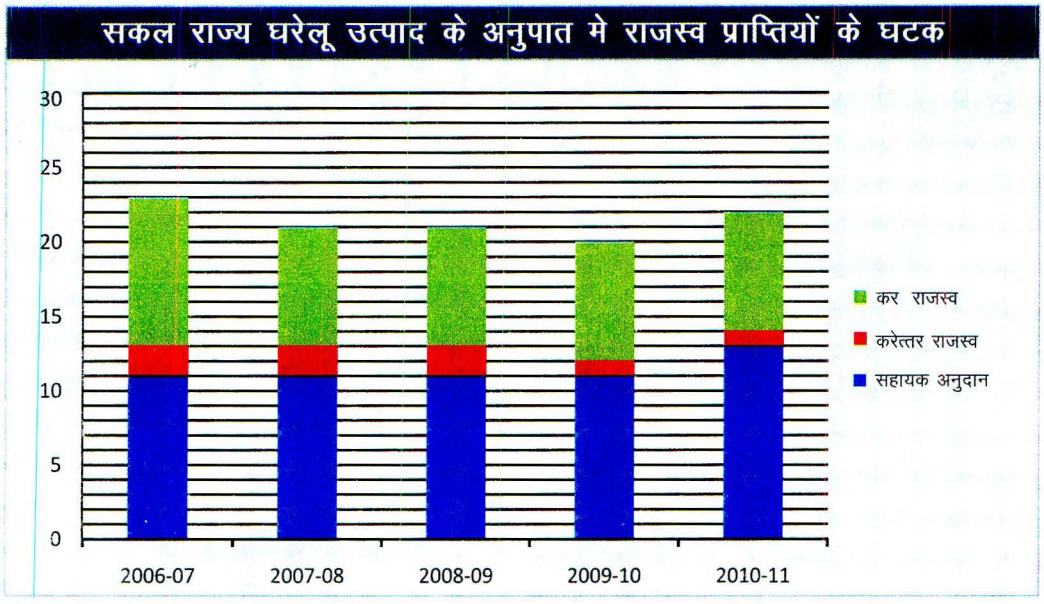

प्रक्षेत्र वार कर राजस्व

(करोड़ ₹ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आय एवं व्यय पर कर	572	762	810	1000	1479
संपत्ति एवं पूंजीगत लेनदेनों पर कर	562	448	376	409	460
वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	2511	2956	3365	3700	4927
कुल कर राजस्व	3645	4166	4551	5109	6866

कर राजस्व के सभी क्षेत्रों मे सकारात्मक वृद्धि देखी गयी।

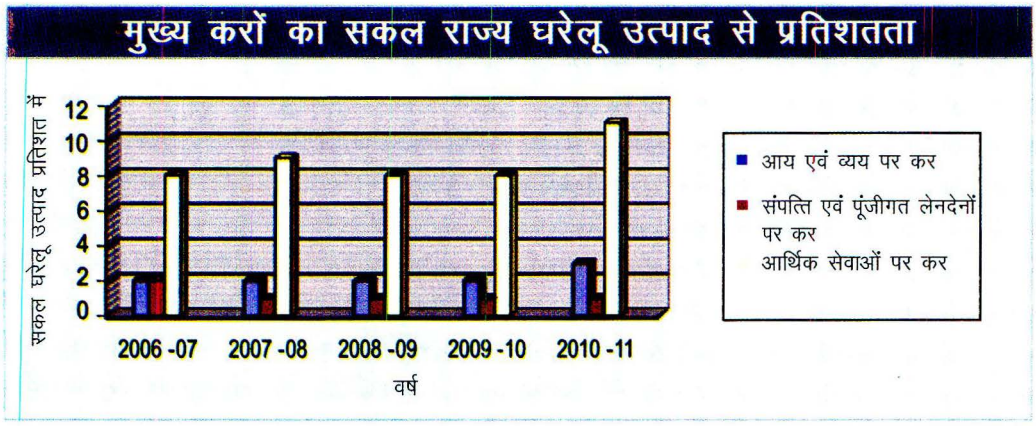

(*) प्रारम्भिक रूप से राज्य को केन्द्रांश की बढ़ोतरी

2.4. राज्य द्वारा स्वयं के कर राजस्व संग्रह की उपलब्धि

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघ करो में राज्य का अंश	राज्य का अपना कर राजस्व	
			₹	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2006-07	3646	1132	2514	8
2007-08	4166	1428	2738	7
2008-09	4551	1507	3044	7
2009-10	5109	1550	3559	7
2010-11	6866	2460	4406	8

राज्य का अपना कर राजस्व तथा सकल घरेलू राज्य उत्पाद की प्रतिशतता वर्ष 2006–07 और 2010–11 में 8 *प्रतिशत* रही। यद्यपि वर्ष 2007–08 से 2009–10 के दौरान यह 1 *प्रतिशत* की कमी से 7 *प्रतिशत* रही।

2.5. कर वसूली की क्षमता

अ. संपत्ति एवं पूंजीगत लेनदेनों पर कर

(करोड़ ₹ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व संग्रहण	562	448	376	409	460
संग्रहण पर व्यय	73	90	98	107	129
कर संग्रहण दक्षता	13%	20%	26%	26%	28%

आ. वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर

(करोड़ ₹ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व संग्रह	2511	2956	3365	3700	4926
संग्रह पर व्यय	22	22	45	42	57
कर संग्रह दक्षता	1%	1%	1%	1%	1%

2.6 पिछले 5 वर्षों में संघीय करों मे राज्यांश की प्रवृति

(करोड़ ₹ में)

मुख्य शीर्ष विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
निगम कर	353	453	494	638	962
आय पर निगम कर से भिन्न कर	215	304	310	355	508
सम्पति कर	...	1	1	1	2
सीमा शुल्क	221	270	288	217	430
संघीय उत्पाद शुल्क	234	257	251	175	314
सेवा कर	109	143	163	164	245
संघीय कर में राज्य का अंश	**1132**	**1428**	**1506**	**1550**	**24,60**
कर राजस्व का योग	**3645**	**4167**	**4552**	**5109**	**6866**
कुल राजस्व से संघीय कर का प्रतिशत	**31%**	**34%**	**33%**	**30%**	**36%**

उत्तराखण्ड सरकार ने वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान सेवा कर को छोड़कर सभी संघीय करों में 0.93 *प्रतिशत* का हिस्सा प्राप्त किया। सेवा कर में ये हिस्सा 0.95 *प्रतिशत* था।

वर्ष 2009–10 में संघीय करों का भाग 33 *प्रतिशत* से घटकर 30 *प्रतिशत* हुआ। अन्य वर्षों में इसमें वृद्धि हुई, यह कर राजस्व का 31 *प्रतिशत* से 36 *प्रतिशत* था।

2.7. सहायक अनुदान

सहायक अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करता है, तथा यह राज्य आयोजनागत योजनाओं, केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं एवं योजना आयोग से अनुमोदित केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं एवं वित आयोग द्वारा संस्तुत आयोजनेत्तर योजनाओं हेतु अनुदानों को सम्मिलित करता है।

वर्ष 2010–11 मे सहायक अनुदान के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 4065.00 करोड़ थी जिसे नीचे दर्शाया गया है।

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	आयोजनेत्तर अनुदान	राज्य आयोजनागत योजना	केन्द्रीय आयोजनागत योजना	केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना
2010-11	1435	2253	21	356

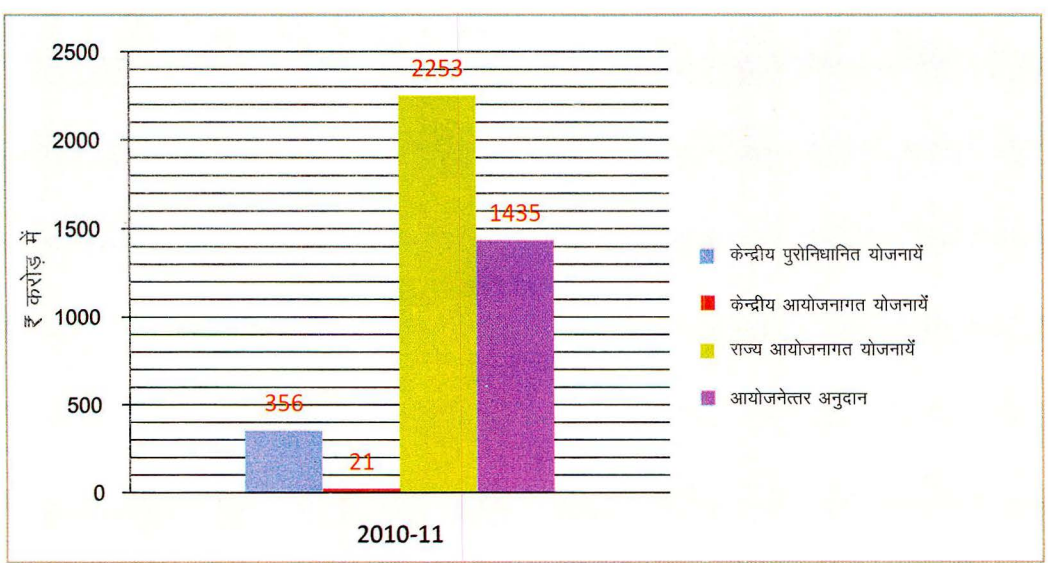

आयोजनेत्तर अनुदानों, केन्द्रीय आयोजनागत योजना एवं केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं में वर्ष 2009–10 को ₹ 1410.00 करोड़ से 2010–11 में ₹ 1812.00 करोड़ करीब 29 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी हुई। जबकि राज्य आयोजनागत योजनाओं में ₹ 2335.00 करोड़ से ₹ 2253.00 करोड़ करीब 4 *प्रतिशत* की कमी हुई।

2.8 लोक ऋण

5 वर्षों में लोक ऋण की प्रवृति

(करोड़ ₹ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आन्तरिक ऋण	1000	1141	1248	1215	1891
केन्द्रीय ऋण	(-) 9	(-) 17	(-) 19	4	17
कुल लोक ऋण	991	1124	1229	1219	1908

नोटः ऋणात्मक आंकड़े प्राप्तियों का पुनर्भुगतान से अधिक्य होना दर्शाते हैं।

वर्ष 2010–11 में ₹ 952 करोड़ के कुल तीन ऋण 8.12 *प्रतिशत,* एवं 8.58 *प्रतिशत* के भिन्नात्मक ब्याज दरों पर उठाये गये जो वर्ष 2020–21 तक शोधनीय थे।

₹ 3045 करोड़ के प्राप्त किए गए आन्तरिक ऋणों के विरूद्ध मात्र ₹ 1855 करोड़ का पूंजीगत व्यय हुआ, इससे प्रतीत होता है, कि शेष बचे हुए लोक ऋण का उपयोग गैर विकास कार्यों के लिए किया गया।

अध्याय 3

व्यय

3.1. प्रस्तावना

व्यय को राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय संगठन के दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय स्थाई परिसम्पतियों के सृजन, या इस प्रकार की ऐसी परिसम्पतियों की उपयोगिता बढ़ाने या स्थाई देयताओं को घटाने के लिए किया जाता है। व्ययों को पुनः आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

सामान्य सेवायें	इसमें न्याय, कारागार, लोक निर्माण कार्य, पेंशन सम्मिलित है।
सामाजिक सेवायें	इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जातियों/जनजातियों का कल्याण सम्मिलित है।
आर्थिक सेवायें	इसमे कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग, यातायात इत्यादि सम्मिलित है।

3.2. राजस्व व्यय

पिछले 5 वर्षों के दौरान राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत बजट प्राकलन व्यय में नीचे दिया गया है।

(करोड़ ₹ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
बजट अनुमान	7596	8073	8663	11161	11997
वास्तविक	6477	7255	8394	10657	11621
अन्तर	1119	818	269	504	376
अन्तर का बजट से प्रतिशतता	15	10	3	5	3

बजट अनुमान तथा राजस्व व्यय के अन्तर को राज्य सरकार के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम के प्रावधानों के सापेक्ष में देखा जाना चाहिए। जिसमें राज्य सरकार से राजस्व तटस्थता (यदि राजस्व आधिक्य सम्भव न हो) बनाये रखने की अपेक्षा की गई है। वर्ष 2010–11 के दौरान राजस्व व्यय का लगभग 64 *प्रतिशत* वचनबद्व व्ययों जैसे वेतन (₹ 4721 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹ 1480 करोड़), पेंशन अदायगियां (₹ 1142 करोड़) और सब्सिडी (₹ 43 करोड़) पर व्यय हुआ।

पिछले 5 वर्षों में वचनबद्व/अवचनबद्व राजस्व व्यय की स्थिति नीचे दी गई है।

(करोड़ ₹ में)

घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व व्यय	6477	7255	8394	10657	11621
वचनबद्व राजस्व व्यय(*)	3042	3950	5103	6816	7386
अवचनबद्व राजस्व व्यय	3435	3305	3291	3841	4235

(*) वेतन, ब्याज अदायगियां, पेशन अदायगियां, सब्सिडी सम्मिलित है।

3.2.1. राजस्व व्यय का प्रक्षेत्रीय वितरण (2010–11)

(करोड़ ₹ में)

घटक	धनराशि	प्रतिशत
(क) राजकोषीय सेवायें	2,04.05	1.76
(i) संपत्ति एवं पूंजीगत लेनदेनों पर करों का संग्रह	1,28.64	1.11
(ii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर करों का संग्रह	57.12	0.49
(iii) अन्य राजकोषीय सेवायें	18.29	0.16
ख. राज्य के अंग	1,40.66	1.21
ग. ब्याज अदायगियां एवं ऋण सेवायें	16,04.58	13.81
घ. प्रशासनिक सेवायें	10,82.99	9.32
ड. पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें	11,47.87	9.88
च. सामाजिक सेवायें	51,69.49	44.48
छ. आर्थिक सेवायें	18,63.75	16.03
ज. सहायता अनुदान एवं अंशदान	4,07.68	3.51
कुल व्यय (राजस्व लेखे)	1,16,21.07	100

3.2.2. राजस्व व्यय के मुख्य श्रोत (2010–11)

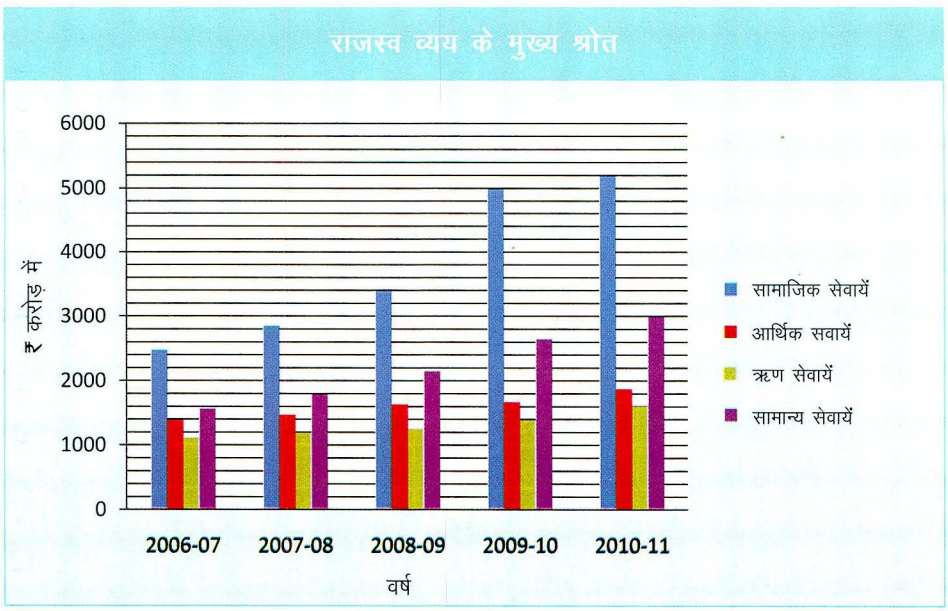

* सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत मुख्य "लेखाशीर्ष 2048–ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन" तथा "2049– ब्याज भुगतान सम्मिलित नही है" तथा इसमें मुख्य "लेखाशीर्ष 3604 (स्थानीय निकायो तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) सम्मिलित किया गया है।

3.3. पूंजीगत व्यय

वर्ष 2010–11 के दौरान पूंजीगत व्यय (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत) अनुमानित बजट से ₹ 241 करोड़ कम रहा, (आयोजनागत व्यय में ₹ 248 करोड़ कम रहा एवं आयोजनेत्तर व्यय में ₹ 7 करोड़ अधिक रहा)।

3.3.1. पूंजीगत व्ययों का प्रक्षेत्रीय वितरण

वर्ष 2010–11 के दौरान, सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 326 करोड़ व्यय किये (मुख्य सिंचाई पर ₹ 190 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹ 2 करोड़ और लघु सिंचाई पर ₹ 134 करोड़)। इसके अतिरिक्त सरकार ने बाढ़ नियत्रंण परियोजनाओं पर 21 करोड़, बिजली परियोजनाओं पर ₹ 57 करोड़ एवं सड़कों एवं पुलों पर ₹ 872 करोड़ व्यय किए। उत्तराखण्ड सरकार ने विभिन्न कम्पनियों, निगमों इत्यादि में भी ₹ 56 करोड़ का निवेश किया।

(करोड़ ₹ में)

क्रम सख्यां.	सेक्टर	धनराशि	प्रतिशत
1.	**सामान्य सेवायें**– पुलिस, भू–राजस्व इत्यादि	105	6
2.	**सामाजिक सेवायें**– शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति इत्यादि	235	12
3.	**आर्थिक सेवायें**– कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग, यातायात इत्यादि	1515	79
4.	ऋण एवं अग्रिम का भुगतान	60	3
	योग	1915	100

3.3.2. पिछले 5 वर्षों के दौरान पूंजीगत व्ययों का प्रक्षेत्रीय वितरण

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	सेक्टर	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	सामान्य सेवायें	173	201	174	109	105
2.	समाजिक सेवायें	372	418	281	109	235
3.	आर्थिक सेवायें	1154	1616	1561	1429	1515
4.	ऋण एवं अग्रिम	123	130	122	30	60
	योग	1822	2365	2138	1677	1915

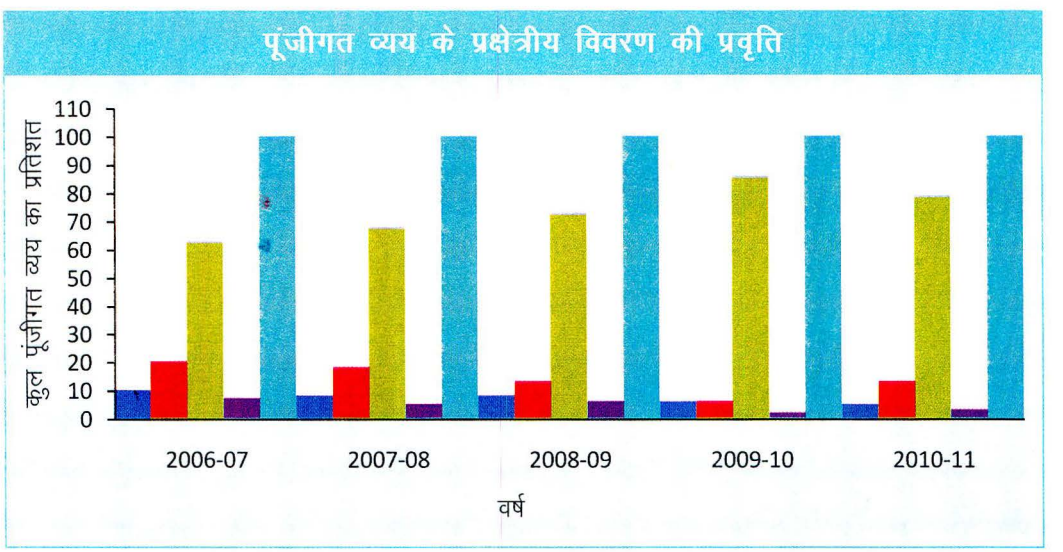

अध्याय 4

आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्यय

4.1. व्ययों का भाग (2010–11)

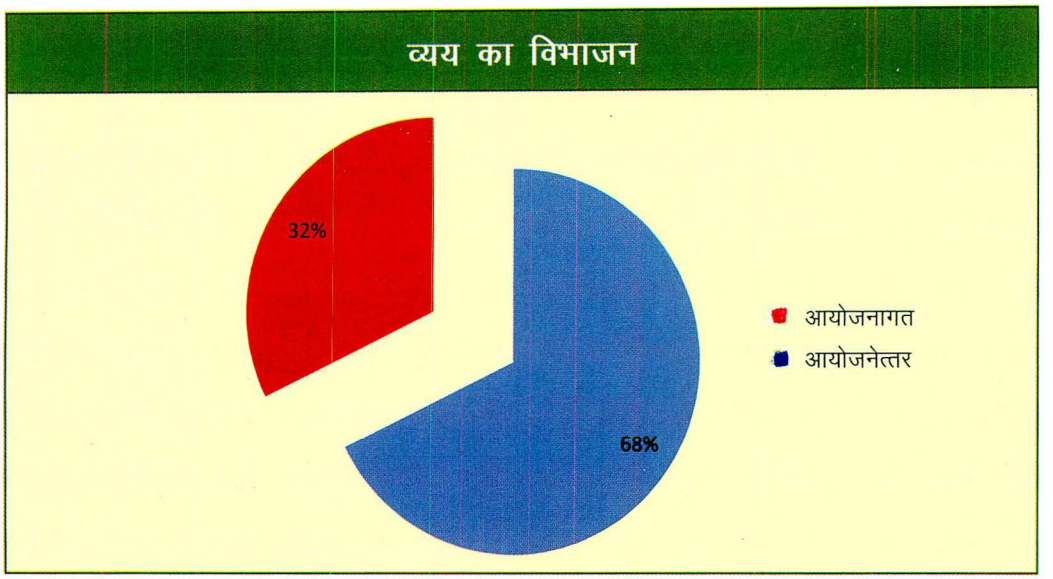

4.2. आयोजनागत व्यय

वर्ष 2010–11 के दौरान आयोजनागत व्यय ₹ 4367 करोड़ कुल संवितरणों का 32 *प्रतिशत* था। (राज्य योजना के अन्तर्गत ₹ 4053 करोड़, केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत ₹ 278 करोड़ ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत ₹ 36 करोड़ हुए)।

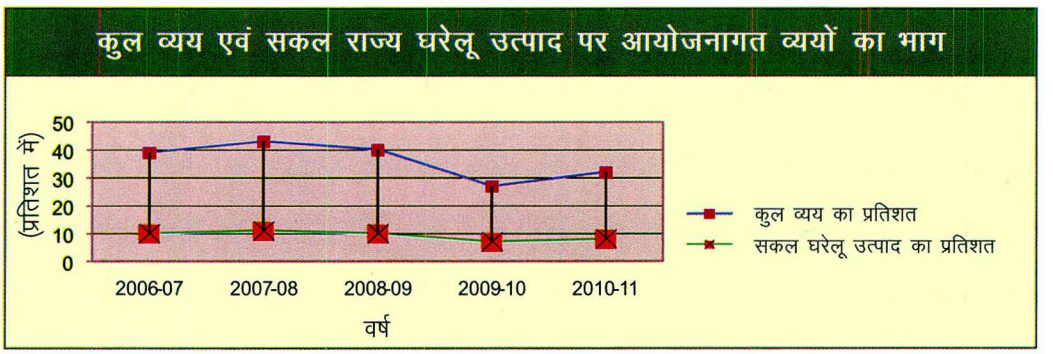

4.2.1. पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत आयोजनागत व्यय

(करोड़ ₹ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
कुल पूंजीगत व्यय	1699	2235	2016	1647	1855
पूंजीगत व्यय (आयोजनागत)	1602	2157	1902	995	1859
पूंजीगत व्यय (आयोजनागत) का कुल पूंजीगत व्यय से प्रतिशत	94%	97%	94%	60%	100%

4.3. आयोजनेत्तर व्यय

वर्ष 2010–11 के दौरान आयोजनेत्तर व्यय ₹ 9168 करोड़ कुल व्यय का 68 *प्रतिशत* था (राजस्व के अन्तर्गत ₹ 9148 करोड़ पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत ₹ 20 करोड़ हुआ। आयोजनेत्तर पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत ऋणात्मक व्यय अधिक वसूली के कारण हुआ जो बजट में अनुमानित नहीं था)

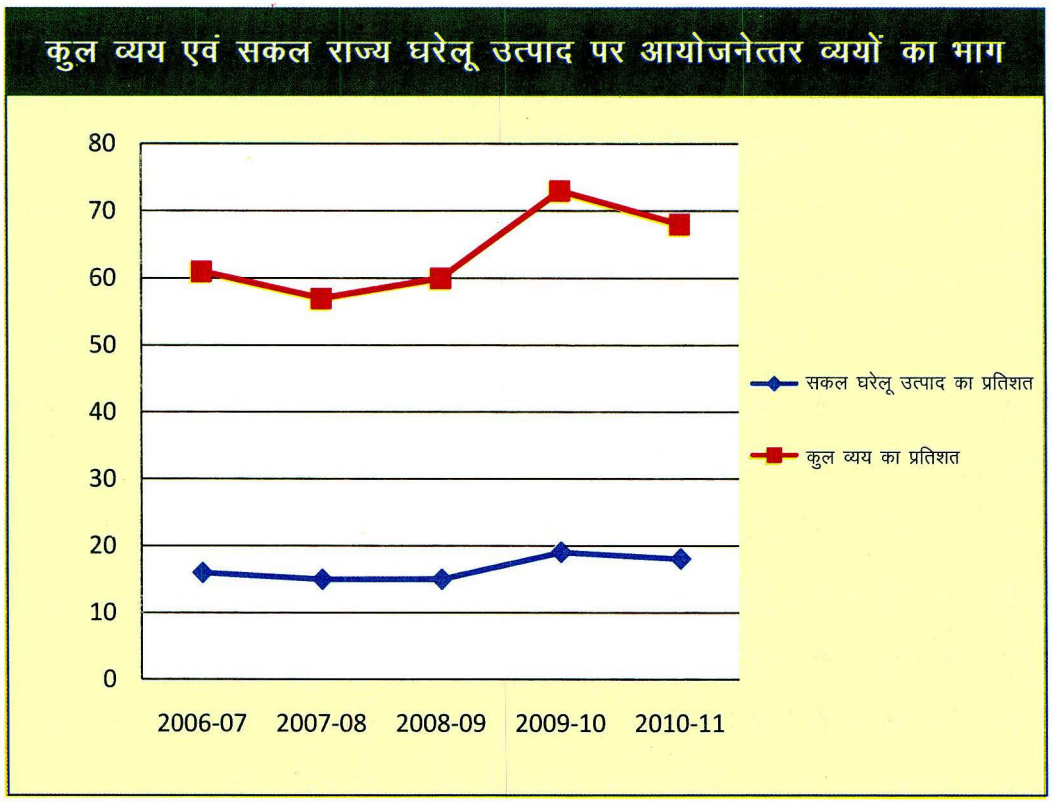

4.4. वचनबद्ध व्यय

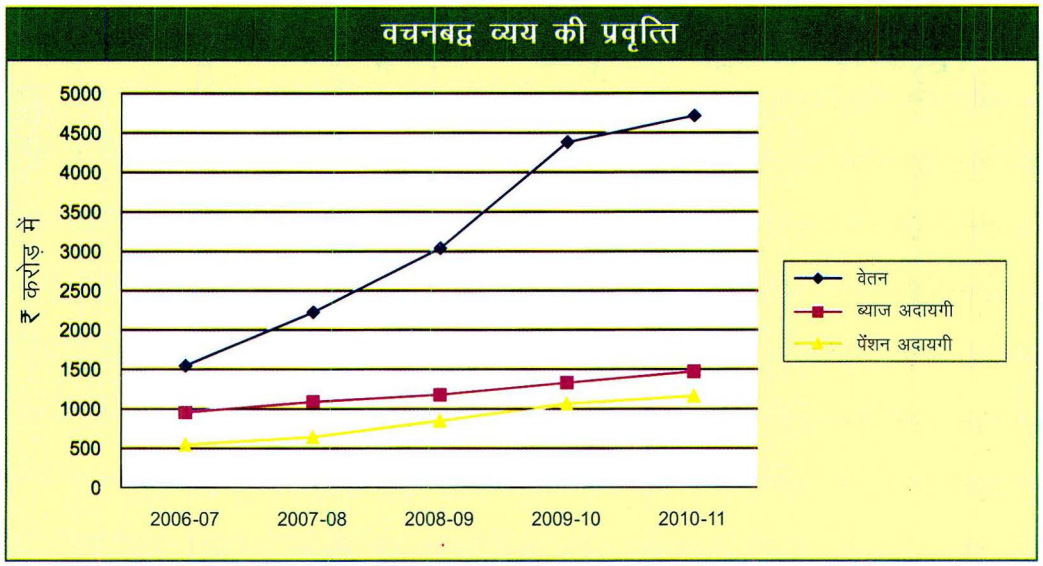

वर्ष 2006–07 से वचनबद्ध व्ययों में अधिक बढ़ोतरी की प्रवृति रही इसमें वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक 1.41 गुणा वृद्धि हुई। इसके कारण राज्य सरकार के पास विकासात्मक कार्यों के लिए धन की कमी रही।

(करोड़ ₹ में)

घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
वचनबद्ध व्यय	3042	3949	5061	6773	7343
राजस्व व्यय	6470	7255	8394	10657	11621
वचनबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	41	50	59	71	63
वचनबद्ध व्यय का राजस्व व्यय से प्रतिशत	47	54	60	64	63

वर्ष 2006–07 से वचनबद्ध व्ययों में अधिक बढ़ोतरी की प्रवृति रही, इसमें वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक 1.41 गुणा वृद्धि हुई। इसके कारण राज्य सरकार के पास विकासात्मक कार्यों के लिए धन की कमी रही।

अध्याय 5

विनियोग लेखे

5.1. वर्ष 2010–11 के विनियोग लेखे का सारांश

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	व्यय का स्वरूप	वास्तविक अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुर्नविनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-) आधिक्य(+)
1	राजस्व दत्तमत भारित	1,02,34.30 *17,62.39*	10,98.89 *32.90*	4,10.88 *14.80*	1,09,22.31 *17,80.49*	1,00,03.96 *16,36.07*	-9,18.35 *-1,44.42*
2	पूंजीगत दत्तमत भारित	20,04.09 *1.00*	6,76.11 *5.81*	3,85.92 --	22,94.28 *6.81*	33,27.07 *2.03*	+10,32.79 *-4.78*
3	लोक ऋण भारित	*12,99.63*	--	*99.20*	*12,00.43*	*11,80.34*	*-20.09*
4	ऋण एवं अग्रिम दत्तमत	1,50.54	*11.09*	49.11	1,12.52	59.68	-52.84
	योग	**1,54,51.95**	**18,24.80**	**9,59.91**	**1,63,16.84**	**1,62,09.15**	**-1,07.69**

वास्तविक व्यय में पिछले वर्षों का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,18.61 करोड़ सम्मिलित है, जिसमें ₹ 1,14.32 करोड़ राजस्व तथा ₹ 4.29 करोड़ पूंजीगत प्रभाग से संबन्धित है।

5.2. पिछले 5 वर्षों में बचत/आधिक्य की प्रवृति

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	बचत (-) /आधिक्य (+)				योग
	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	
2006-07	-11,73.84	+55.71	+4,45.83	-1,77.88	-8,50.18
2007-08	-5,12.64	+5,84.55	+2,89.48	-10.15	+3,51.24
2008-09	-10,73.22	+5,34.31	+4,62.02	-8.18	-85.07
2009-10	-11,46.92	+7,56.00	+61.10	-2,78.04	-6,07.86
2010-11	-10,62.77	+10,28.01	-20.09	-52.84	-1,07.69

अध्याय 6

परिसम्पत्तियां एवं देयतायें

6.1. परिसम्पत्तियां

वर्ष में भूमि के अधिग्रहण/क्रय करने का वर्ष के अतिरिक्त लेखे की मौजुदा प्रणाली शासकीय परिसम्पतियों जैसे भूमि भवन इत्यादि का आसानी से मूल्यांकन प्रस्तुत नहीं करती है इसी के समरूप जब लेखे चालू वर्ष में दायित्व के प्रभाव को प्रस्तुत करते है वे सिवाए ब्याज दरों एवं मौजूदा ऋण के समय के अतिरिक्त दायित्वों के भविष्य में उत्पन्न होने वाले प्रभावों को प्रस्तुत नहीं करते है।

वर्ष 2010–11 के अन्त में गैर वित्तीय लोक क्षेत्र उपक्रमों में अंश पूंजी के रूप में भी विनिवेश ₹ 1296 करोड़ था वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 56 करोड़ का विनिवेश बढ़ा जब कि लाभांश ₹ 0.13 करोड़ बढ़ा।

31 मार्च 2010 तक भारतीय रिर्जव बैंक में रोकड़ अवशेष (नामे) ₹ 227.89 करोड़ था, जो कि मार्च 2011 में बढकर ₹ 334.25 करोड़ (जमा) हो गया।

6.2. ऋण एवं दायित्व

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य सरकार विधान मण्डल द्वारा समय–समय पर नियत निर्धारित सीमा तक राज्य की समेकित निधि की सुरक्षा पर उधार ले सकती है।

राज्य सरकार के लोक ऋण एवं कुल दायित्वों का वितरण निम्नवत हैं।

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	लोक लेखा(*)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	कुल देयतायें	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
2006-07	10553	33	2481	8	13034	40
2007-08	11678	31	2714	7	14392	38
2008-09	12866	30	3410	8	16276	38
2009-10	14076	29	4672	10	18748	39
2010-11	15984	31	5614	11	21598	41

(*) उच्चंत एवं प्रेषण अवशेषों को छोड़कर
नोटः वर्ष के अन्त में आंकड़ें का प्रगामी शेष
वर्ष 2009–10 की तुलना में लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों में ₹ 2850 करोड़ (15 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

शासकीय दायित्वों की प्रवृति

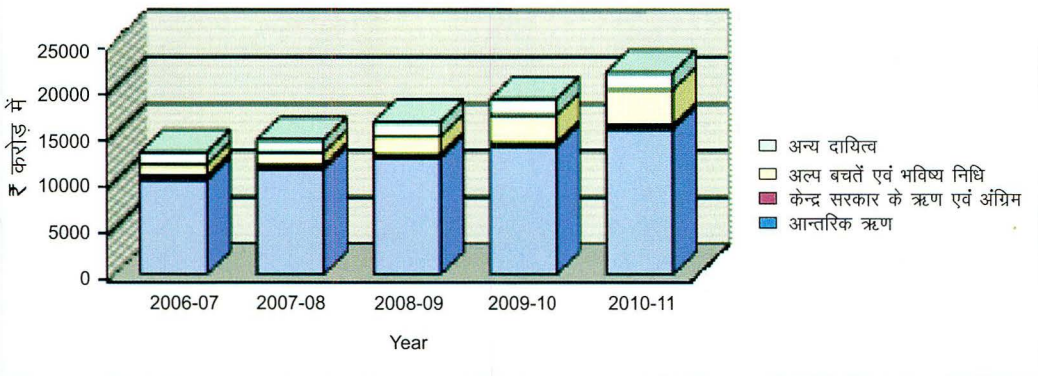

(*) बिना ब्याज की देयताएं जैसे स्थानीय निधि में जमा, अन्य उददिष्ट निधियां इत्यादि।

भारत सरकार समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा बाजार से ऋण लिए जाने की सीमा निर्धारित करती है।

6.3. प्रतिभूतियां

राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियां, सहकारी समितियों इत्यादि के ऋणों के भुगतान तथा इन ऋणों के भुगतान हेतु दी गई प्रतिभूतियां की स्थिति निम्नवत् हैं।

(करोड़ ₹ में)

वर्ष के अन्त तक	अधिकतम प्रत्याभूति धनराशि (मूलधन) मात्र	अधिशेष धनराशि 31 मार्च 2011	
		मूलधन	ब्याज
2006-07	सूचना उपलब्ध नही है	1716	सूचना उपलब्ध नही है
2007-08	सूचना उपलब्ध नही है	1677	सूचना उपलब्ध नही है
2008-09	सूचना उपलब्ध नही है	1802	सूचना उपलब्ध नही है
2009-10	सूचना उपलब्ध नही है	1511	सूचना उपलब्ध नही है
2010-11	2122(*)	1511	सूचना उपलब्ध नही है

अध्याय 7

अन्य मदें

7.1. राज्य सरकार के ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2010–11 के अन्त में राज्य सरकार के ऋण एवं अग्रिम ₹ 717.90 करोड़ के थे इसमें ₹ 668.68 करोड के ऋण एवं अग्रिम निगमों/कम्पनियों, अशासकीय संस्थाओं एवं स्थानीय निकायो के थे। मूलधन एवं ब्याज की धनराशियों का विवरण उपलब्ध नही हैं।

7.2. स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

पिछले 5 वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायक अनुदान वर्ष 2006–07 मे ₹ 271.28 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹ 407.68 करोड़ हो गया। वर्ष 2010–11 के दौरान जिला परिषद, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं को (₹ 200.44 करोड) दिया गया, जो कि कुल दिये गये अनुदानों का 49.16 *प्रतिशत* था।

पिछले 5 वर्षों के दौरान दिए गए सहायक अनुदान का विवरण निम्नवत है।

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	नगरपालिका	नगरनिगम	जिला परिषदें	नगर पंचायत	अन्य	योग
2006-07	18.82	63.30	34.26	14.51	140.39	271.28
2007-08	21.46	73.65	38.46	15.82	160.39	309.78
2008-09	18.73	72.63	33.24	14.84	135.33	274.77
2009-10	26.66	79.66	40.30	16.16	161.95	324.73
2010-11	32.50	98.37	48.31	21.26	207.24	407.68

7.3. रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष निवेश

(करोड़ ₹ में)

घटक	1 अप्रैल 2010 को	31 मार्च 2011 तक	शुद्ध वृद्धि (+)/ कमी (-)
रोकड़ शेष	(-)236.76	328.81	(+)565.57
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार कोषागार देयकों से)	...	...	...
उद्दिष्ट निधि के शेष से निवेश	778.65	903.62	(+) 124.97
(अ) ऋण शोधन निधि	753.65	878.62	(+) 124.97
(ब) प्रत्याभूति मोचन निधि	25.00	25.00	...
(स) अन्य निधियां	...	...	...
ब्याज प्राप्तियां	9.44	13.78	+4.34

वर्ष 2010–11 के अन्त तक राज्य सरकार के पास अन्तिम रोकड़ शेष धनात्मक था। वर्ष के अन्त तक राज्य सरकार ने उद्दिष्ट निधियों में ₹ 903.62 करोड़ का निवेश किया था।

7.4. लेखों का मिलान

अन्य बातों के साथ साथ लेखों की परिशुद्धता एवं विश्वसनीयता विभागों से उपलब्ध आंकड़ों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक0) मे संकलित लेखों से प्राप्त आंकड़ों से मिलान पर निर्भर करती है। इस अभ्यास का संचालन सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा किया जाना चाहिए। बहुत से विभागों के लेखों का मिलान अब भी अवशेष है। वर्ष 2010–11 में राज्य सरकार के कुल व्यय ₹ 13536 की व्यय मे से मात्र ₹ 9716.03 (71.78 *प्रतिशत*) का मिलान हुआ है। कुल प्राप्तियों ₹ 11608.16 करोड़ मे से मात्र ₹ 9771.45 करोड का मिलान किया गया। विभिन्न विभागों के मुख्य नियंत्रक अधिकारियों के लेखों के मिलान की स्थिति निम्न हैं।

विवरण	मुख्य नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	पूर्ण मिलान	आंशिक मिलान	मिलान नही किया गया
व्यय	62	32	19	11
प्राप्तियां	48	11	11	26

मिलान मे निरन्तर चूक करने वाले या मिलान न कराने वाले विभागों की सूची निम्नतः है

क्रम सं.	विभाग का नाम/मुख्य नियत्रंण अधिकारी	वर्ष/वर्षो लम्बित
1.	सचिव, सामान्य प्रशासन सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	2007-08 to 2010-11
2.	आयुक्त, दुर्घटना राहत, राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	2007-08 to 2010-11
3.	सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	2007-08 to 2010-11
4.	प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	2007-08 to 2009-10
5.	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कलोनी, देहरादून	2007-08 to 2009-10
6.	सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी, सचिवालय उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	2009-10, 2010-11
7.	सचिव, खाद्य नियन्त्रक बाट एवं माप सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	2009-10,2010-11
8.	सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	2009-10, 2010-11

7.5. कोषागारों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

कोषागारों द्वारा प्रारम्भिक लेखाओं का प्रेषण सन्तोषजनक है। यद्यपि लोक निर्माण एवं वन खण्डों के कुछ लेखों मे 1 से 15 दिन की देरी से प्रस्तुत किये गये।

7.6. सार आकस्मिक व्यय बिल एवं ब्यौरेवार बिल

जब धन की आवश्यकता अग्रिम रूप मे होती है या जब आहरण एवं वितरण अधिकारी धन की वास्तविक आवश्यकता की गणना करने मे असमर्थ होता हैं, तो वें आधारभूत दस्तावेजों के बिना ही धन का आहरण सार आकस्मिक व्यय बिलों के माध्यम से कर सकते हैं। ये सार आकस्मिक व्यय बिलों को 90 दिनों के अन्दर ब्यौरेवार बिलों को प्रस्तुत करके व्यवस्थित कर लिए जाने की आवश्यकता होती है। तथ्य यह है कि 31 मार्च 2011 को ₹ 77.15 करोड़ के ब्यौरेवार बिल अवशेष थे, इससे प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध मे जारी निर्देशों का पालन नही किया गया है।

वर्ष	अवशेष धनराशि (करोड़ ₹ में)	मदों की संख्या
2008-09	3.00	2
2009-10	1.41	22
2010-11	72.74	367